

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
सोनाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट, निवासी पावूमाली तहसील शिव, जिला वाड़मेर		रामाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट, निवासी पावूमाली तहसील शिव जिला वाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188)

मुकदमा नम्बर 29/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.02.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53 88, 49, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 8.4.24 को पेश हो।	
8.4.24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीयूषीन अधिवक्ता के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 24.5.24 को पेश हो।	
27.5.24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के जेरिस व डिपेरी रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण का इस्तवा होकर दिनांक 26.7.24 को पेश हो।	
26.7.24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई पत्रावली कार्यवाही नहीं होने व कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 14.8.24 को पेश हो।	

21  
सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

1552-1557  
04.03.2024



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम को  
में जारी

02.07.25

पत्रावली जैसा वादी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली में प्रजापी जैसी हेतु वकील  
वादी व वादी को तलाशालय सभ्य  
में रुक-रुककर आवर्जों दी जाने  
के कारण अनुपस्थित। अतः पत्रावली  
में प्रजापी जैसी नहीं होने तथा  
अनुपस्थित रहने पर उक्त वाद  
इसी स्टेज पर अटक हाजरी व  
अटक जैसी में खारिज किया जाता  
है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर  
दाखिल इफ्तार हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) शिव

सेवा